

बिन्दु सं0 5 - अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।

विभाग के मुख्य-मुख्य क्रिया-कलापों से संबंधित निम्नलिखित नियम/विनियम हैं-

1. दातव्य निधि नियमावली ।
2. विजय निधि नियमावली ।
3. द्वितीय विश्वयुद्ध पेंशन सम्बंधी नियम/शासनादेश ।
4. कल्याण कार्यकर्ता के कर्तव्य ।
5. कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बंधित शासनादेश ।
6. जिला सैनिक बन्धु का गठन ।
7. सेवारत सैनिकों की घरेलू समस्याओं के निस्तारण के सम्बंध में ।
8. वीर चक्र ऋखला के पुरस्कार विजेताओं को दिये जाने वाली एकमुश्त नगद धनराशि एवं वार्षिक वृद्धि ।
9. अशोक चक्र ऋखला के पदक में विभूषित महानुभावों को दी जाने वाली धनराशि की सीमा में बढ़ोतरी ।
10. कार्यरत सैनिकों की निजी समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन ।
11. नागरिक कार्मिक/सुरक्षा गार्ड्स एवं निजी संस्थाओं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा सेना की वर्दी] उनके बैजेज एवं स्टार का उपयोग न किये जाने के सम्बंध में ।
12. लोक शिकायत अनुभाग में सैनिकों की समस्याओं के निराकरण सम्बंधी मामलों के सम्बंध में ।